



बिहार गजट

असाधारण अंक

बिहार सरकार द्वारा प्रकाशित

14 कार्तिक 1940 (श०)

(सं० पटना ९६५) पटना, सोमवार, ५ नवम्बर २०१८

वाणिज्य-कर विभाग

अधिसूचना

५ नवम्बर २०१८

एस० ओ० २६९, दिनांक ५ नवम्बर २०१८—बिहार माल और सेवा कर अधिनियम, २०१७ (२०१७ का अधिनियम १२), जिसे इस अधिसूचना में इसके पश्चात् उक्त अधिनियम कहा गया है, की धारा ५१ के साथ पठित धारा १ की उपधारा (३) द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए, बिहार के राज्यपाल, परिषद् की सिफारिशों पर, वाणिज्य-कर विभाग की अधिसूचना सं० एस० ओ० २३८, दिनांक १३ सितम्बर, २०१८ जो बिहार राज्य पत्र, असाधारण अंक, में संख्या ८४७, दिनांक १३ सितम्बर, २०१८ द्वारा प्रकाशित की गई थी, में निम्नलिखित और संशोधन करते हैं, यथा :—

उक्त अधिसूचना के परंतुक के पश्चात् निम्नलिखित परंतुक अंतःस्थापित किया जाएगा, अर्थात् :—

“परंतु यह और कि इस अधिसूचना की कोई बात किसी पब्लिक सेक्टर उपक्रम से किसी अन्य पब्लिक सेक्टर उपक्रम को, चाहे वह सुभिन्न व्यक्ति हो या न हो, माल या सेवाओं या दोनों के प्रदाय को १ अक्टूबर, २०१८ से लागू नहीं होगी ।”।

[(सं०सं०—बिक्री-कर/जीएसटी/विविध-२१/२०१७(खंड-४)-५०११)]

बिहार—राज्यपाल के आदेश से,

डॉ० प्रतिमा,

राज्य—कर आयुक्त—सह—सचिव ।

५ नवम्बर २०१८

एस० ओ० २६९ दिनांक ५ नवम्बर २०१८ का अंग्रेजी में निम्नलिखित अनुवाद बिहार—राज्यपाल के प्राधिकार से इसके द्वारा प्रकाशित किया जाता है जो भारतीय संविधान के अनुच्छेद ३४८ के खण्ड (३) के अधीन अंग्रेजी भाषा में उसका प्राधिकृत पाठ समझा जाय ।

[(सं०सं०—बिक्री-कर/जीएसटी/विविध-२१/२०१७(खंड-४)-५०११)]

बिहार—राज्यपाल के आदेश से,

डॉ० प्रतिमा,

राज्य—कर आयुक्त—सह—सचिव ।

The 5th November 2018

S.O. 269, Date 5th November, 2018— In exercise of the powers conferred by sub-section (3) of section 1, read with section 51 of the Bihar Goods and Services Tax Act, 2017 (12 of 2017), hereafter in this notification referred to as the said Act, the Governor of Bihar, on the recommendations of the Council, hereby makes the following further amendments in the Commercial Taxes Department notification No. S.O. 238, dated the 13th September, 2018, published in the Bihar Gazette, Extraordinary, vide number 847, dated the 13th September, 2018, namely:—

In the said notification, after the proviso, the following proviso shall be inserted, namely:-

“Provided further that nothing in this notification shall apply to the supply of goods or services or both from a public sector undertaking to another public sector undertaking, whether or not a distinct person, with effect from the 1st day of October, 2018.”.

[(File No. Bikri kar/GST/vividh-21/2017(Part-4)-5011)]
By order of the Governor of Bihar,
DR. PRATIMA,
Commissioner State Tax-cum-Secretary,

अधीक्षक, सचिवालय मुद्रणालय,
बिहार, पटना द्वारा प्रकाशित एवं मुद्रित।
बिहार गजट (असाधारण) 965-571+10-डी०टी०पी०।
Website: <http://egazette.bih.nic.in>